खण्ड-445, अंक-1
शुक्रवार, 09 फाल्गुन, शक संवत् 1924
(28 फरवरी, 2003 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2003)

खण्ड 445 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2003

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के सदस्यों की सूची महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्री परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	क–ठ
उपस्थित सदस्य	ड–द
राष्ट्रीय गीत	1
–श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अधिष्ठाता द्वारा आंशिक पाठ (जारी) ...	1
–श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी) ...	1–2
–श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अधिष्ठाता द्वारा आंशिक पाठ... ...	2–15
–उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया)	16
–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 .....(सदन के पटल पर रखा गया)	16
–उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन), अध्यादेश, 2002 .....(सदन के पटल पर रखा गया)	16
–उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन), अध्यादेश, 2002 .....(सदन के पटल पर रखा गया)	16
–श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	16–18
–उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अध्यादेश, 2002 ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	18
–उत्तर प्रदेश अर्पाटमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन)..... अध्यादेश, 2003 ..... (सदन के पटल पर रखा गया) ...	18
–उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	18
–उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन), विधेयक, 2002 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	18–19
–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन), विधेयक, 2002 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	19
–उत्तर प्रदेश छत्रपति साहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, विधेयक, 2002 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	19
–उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, विधेयक, 2002 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	19
–उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	19

विषय	पृष्ठ-संख्या
–उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	20
–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति(संशोधन), विधेयक, 2002 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	20
–उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	20
–उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	20
–उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	20–21
–कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	21
–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन), विधेयक, 2002 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) .	21
–भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 ..... (महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना)	21–22
–कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश (स्वीकृत).....	22–24
–उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 ..... (पुरःस्थापित)	24
–उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन), विधेयक, 2003 .....(पुरःस्थापित) ...	24–25
–उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन), विधेयक, 2003 .....(पुरःस्थापित)	25
–उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2003 .....(पुरःस्थापित) ...	25–26
–उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2003 .....(पुरःस्थापित)	26
–उत्तर प्रदेश छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 .....(पुरःस्थापित)	26–27

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(चौदहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची)

1–अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2–अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4–अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5–अजय कुमार, श्री — बागपत
6–अजय राय, श्री — वाराणसी
7–अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — बदायूं
8–अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
9–अताउल रहमान, श्री — बरेली
10–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
11–अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
12–अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
13–अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
14–अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
15–अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
16–अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
17–अनिल कुमार पासवान, श्री — हरदोई
18–अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
19–अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
20–अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
21–अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
22–अनुराधा चौधरी, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
23–अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
24–अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
25–अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
26–अब्दुल कलाम, श्री — संत कबीर नगर
27–अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
28–अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री — बाराबंकी
29–अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
30–अमरमणि, श्री — महराजगंज
31–अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
32–अमिता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
33–अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
34–अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
35–अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
36–अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
37–अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा० — जालौन
38–अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
39–अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
40–अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
41–अली बहादुर, श्री — बहराइच
42–अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
43–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
44–अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
45–अशोक बाजपेयी, डा० — हरदोई
46–अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
47–आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
48–आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
49–आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
50–आर०एस० कुशवाहा, श्री — खीरी
51–आर० के० चौधरी, श्री — लखनऊ
52–आर०के० सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
53–आलम बदी, श्री — आजमगढ़
54–आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
55–आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
56–आशीष यादव, श्री — बदायूं
57–आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
58–इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
59–इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी

60–इन्द्रदेव सिंह, डा० बिजनौर
61–इलम सिंह, श्री सहारनपुर
62–उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
63–उदयभान सिंह, श्री वाराणसी
64–उदयराज, श्री उन्नाव
65–उमा किरन, श्रीमती मुजफ्फरनगर
66–उमा शंकर कुशवाहा, श्री गाजीपुर
67–ऊषा वर्मा, श्रीमती हरदोई
68–ओइमवेश, स्वामी, बिजनौर
69–ओमकार सिंह यादव, श्री बदायूं
70–ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
71–ओम प्रकाश, श्री सीतापुर
72–ओम प्रकाश (ओ० पी० सिंह), श्री सुल्तानपुर
73–ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
74–ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
75–ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
76–कपिल देव यादव, श्री मऊ
77–कमला प्रसाद रावत, श्री बाराबंकी
78–कमलेश कुमार पासवान, श्री गोरखपुर
79–कमलेश कुमार पाठक, श्री कानपुर देहात
80–कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
81–कल्याण सिंह, श्री अलीगढ़
82–कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
83–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
84–कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
85–कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
86–काशी राम, श्री रामपुर
87–किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
88–किरनपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
89–किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
90–कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री बिजनौर
91–कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
92–कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
93–कृष्णानन्द राय, श्री गाजीपुर
94–कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
95–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
96–कैलाश, श्री गाजीपुर
97–कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
98–कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री वाराणसी
99–कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
100–कौकब हमीद खां, श्री बागपत
101–कौशल किशोर, श्री खीरी
102–कौशल किशोर, श्री लखनऊ
103–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
104–गंगा बक्श सिंह, डा० उन्नाव
105–गंगा भक्त सिंह, श्री हरदोई
106–गया चरन दिनकर, श्री बांदा
107–गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
108–गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
109–घनश्याम शुक्ल, श्री गोण्डा
110–घूरा राम, श्री बलिया
111–चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
112–चन्द्रदेव राम यादव करैली, श्री आजमगढ़
113–चन्द्र भद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
114–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री श्रावस्ती
115–चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
116–छेदी राम, श्री गाजीपुर
117–छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
118–छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
119–जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
120–जगदीश नारायण (राय), श्री जौनपुर
121–जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर/पडरौना
122–जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
123–जगदीस सोनकर, श्री जौनपुर
124–जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
125–जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
126–जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
127–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
128–जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
129–जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
130–जयराम चिमेल, श्री अम्बेडकर नगर
131–जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी

132–जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
133–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री — गोरखपुर
134–जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
135–ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
136–तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
137–दद्दू प्रसाद, श्री — चित्रकूट
138–दयाराम, श्री — कौशाम्बी
139–दया शंकर वर्मा, श्री — जालौन
140–दिनेश सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
141–दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
142–दीनानाथ भाष्कर, श्री — सन्त रविदास नगर, भदोही
143–दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
144–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
145–देवकी नन्दन, श्री — हाथरस
146–देव नारायन उर्फ जी०एम० सिंह, श्री — गोरखपुर
147–देवेन्द्र नागपाल, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
148–देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
149–देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
150–द्वारिका प्रसाद, श्री — सन्त कबीर नगर
151–धनंजय सिंह, श्री — जौनपुर
152–धर्मपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
153–धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
154–धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकर नगर
155–धर्म सिंह सैनी, डा० — सहारनपुर
156–धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
157–धू राम, श्री — हमीरपुर
158–नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
159–नरेन्द्र कुमार, श्री — गौतमबुद्ध नगर
160–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० — इलाहाबाद
161–नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
162–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
163–नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री — गाजियाबाद
164–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
165–नवाब सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
166–नारद राय, श्री — बलिया
167–पकौड़ी लाल, श्री — मिर्जापुर
168–परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
169–पारस नाथ यादव, श्री — जौनपुर
170–पी० के० राय, डा० — कुशीनगर/पडरौना
171–पीटर फैन्यम, श्री — नाम-निर्देशित
172–पीतम राम, श्री — पीलीभीत
173–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
174–पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर/पडरौना
175–प्रताप चौधरी, श्री — हाथरस
176–प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
177–प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
178–प्रभु नारायण, श्री — वाराणसी
179–प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
180–प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ़
181–प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
182–प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
183–प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
184–प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
185–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
186–फसीहा मुराद लारी उर्फ गजाला, श्रीमती — देवरिया
187–फागू, श्री — मऊ
188–बंशीधर राज, श्री — खीरी
189–बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
190–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
191–बाबू राम, एम०काम०, श्री — जालौन
192–बाबू लाल, श्री — गोण्डा
193–बाबू लाल, चौधरी — आगरा
194–बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
195–बिजय सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
196–बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
197–बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
198–बृजेन्द्र कुमार ब्यास (डमडम महराज), श्री — झांसी
199–बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर, एडवोकेट — जालौन
200–बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
201–बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा

202–ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
203–भगवत शरन गंगवार, श्री बरेली
204–भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
205–भरत सिंह, श्री बलिया
206–भारतेन्द्र सिंह, कुंवर बिजनौर
207–भूपेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
208–मुंशीलाल गौतम, श्री बुलन्दशहर
209–मतेश चन्द्र सोनकर, श्री कौशाम्बी
210–मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
211–मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
212–मदन भैया, श्री बागपत
213–मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री इटावा
214–मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
215–मलिक मसूद, श्री आजमगढ़
216–मशहूद खां, श्री बलरामपुर
217–मस्त राम चौ०, एडवोकेट उन्नाव
218–महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
219–महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री आगरा
220–महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री सीतापुर
221–महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी अलीगढ़
222–महेन्द्र सिंह यादव, श्री बुलन्दशहर
223–महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
224–महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
225–महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
226–माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
227–मान पाल सिंह, श्री एटा
228–माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
239–मायावती, सुश्री सहारनपुर
230–मिथिलेश कुमार, श्री शाहजहांपुर
231–मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
232–मुस्ताक सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
233–मूलचन्द्र, श्री बिजनौर
234–मोख्तार अंसारी, श्री मऊ
235–मोहन देव शंखवार, श्री फिरोजाबाद
236–मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद
237–मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
238–मोहम्मद इरशाद खां, श्री लखनऊ
239—मोहम्मद बशीर, श्री आगरा
240–मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
241–मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
242–मो० शफीर, श्री फतेहपुर
243–यशपाल चौधरी, श्री खीरी
244–यशवन्त सिंह, डा० मुजफ्फरनगर
245–याकूब, हाजी मेरठ
246–योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
247–योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री गोण्डा
248–रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री प्रतापगढ़
249–रणवीर राणा, श्री मेरठ
250–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर कुशीनगर/पडरौना
251–रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
252–रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर/पडरौना
253–रमेश कान्त लवानिया, श्री आगरा
254–रमेश कुमार शर्मा, श्री झांसी
255–रमेश चन्द बिन्द, डा० मिर्जापुर
256–रविन्द्र पुण्डीर, प्रो० मेरठ
257–राकेश कुमार वर्मा, श्री बाराबंकी
258–राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
259–राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
260–राज किशोर सिंह, श्री बस्ती
261–राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
262–राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
263–राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
264–राजरानी रावत, श्रीमती बाराबंकी
265–राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
266–राजवीर सिंह, श्री बुलन्दशहर
267–राजा राम, श्री प्रतापगढ़
268–राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
269–राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
270–राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ

271–राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री — एटा
272–राजेन्द्र सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
273–राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
274–राजेश कुमार, श्री — खीरी
275–राधा मोहन दास अग्रवाल, डा० — गोरखपुर
276–राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
277–राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर/पडरौना
278–राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकर नगर
279–राम इकबाल सिंह, श्री — बलिया
280–राम करन आर्य, श्री — बस्ती
281–राम किशुन, श्री — वाराणसी
282–राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
283–राम कृष्ण, श्री — सीतापुर
284–राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
285–रामजी शुक्ला, श्री — औरैया
286–राम नरेश यादव, श्री — आजमगढ़
287–रामनाथ, श्री — प्रतापगढ़
288–रामपाल यादव, श्री — सीतापुर
289–राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
290–राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
291–राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
292–राम बाबू हरित, डा० — आगरा
293–राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
294–राम भुआल निषाद, श्री — गोरखपुर
295–राम लाल अकेला, श्री — रायबरेली
296–रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
297–रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
298–राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
299–राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
300–राम स्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
301–राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
302–रामहेत, श्री — सीतापुर
303–रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
304–रिजवान अहमद् खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
305–रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
306–रेवती रमण सिंह, कुं० — इलाहाबाद
307–लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० — मेरठ
308–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
309–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
310–लाल जी वर्मा, श्री — अम्बेडकर नगर
311–लाल बहादुर यादव, श्री — जौनपुर
312–लुईस खुर्शीद, श्रीमती — फर्रुखाबाद
313–वकार अहमद शाह, डा० — बहराइच
314–वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
315–विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
316–विजय कुमार मिश्रा, श्री — सन्त रविदासनगर भदोही
317–विजय बहादुर पाल, श्री — फर्रुखाबाद
318–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
319–विजेन्द्र सिंह, श्री — हाथरस
320–विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
321–विद्या सागर गुप्ता, श्री — लखनऊ
322–विनय शाक्य, श्री — औरैया
323–विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री — गोण्डा
324–विनोद कुमार यादव कक्का, श्री — इटावा
325–विनोद कुमार सिंह, श्री — जौनपुर
326–विनोद तिवारी, डा० — पीलीभीत
327–विमल कृष्ण अग्रवाल उर्फ पप्पी, श्री — बदायूं
328–विवेक बंसल, श्री — अलीगढ़
329–विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
330–विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
331–वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना, श्री — शाहजहांपुर
332–वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री — बरेली
333–वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
334–वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री — ललितपुर
335–वीरेश्वर, श्री — अलीगढ़
336–वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
337–शंख लाल मांझी, श्री — सन्त कबीर नगर
338–शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — सन्त रविदास नगर, भदोही
339–शब्बीर, श्री — बहराइच
340–शमीमुल हक, श्री — मुरादाबाद
341–शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
342–शहजिल इस्लाम, श्री — बरेली

343–शाकिर अली, श्री — देवरिया
344–शारदा देवी, श्रीमती — गोरखपुर
345–शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
346–शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
347–शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
348–शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
349–शिव चरन, श्री — हमीरपुर
350–शिव तपस्या पासवांन, श्री — चन्दौली
351–शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
352–शिव प्रताप यादव, डा० — बलरामपुर
353–शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर — प्रतापगढ़
354–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
355–शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
356–शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री — जौनपुर
357–श्याम सिंह अहेरिया, श्री — मथुरा
358–श्याम देव राय चौधरी, श्री — वाराणसी
359–श्याम नारायन, श्री — महराजगंज
360–श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
361–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
362–श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
363–संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
364–संजीव दरियाबादी, श्री — कानपुर नगर
365–संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
366–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
367–सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
368–सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
369–सत्य नारायण, श्री — हरदोई
370–सन्ध्या कठेरिया, कु० — मैनपुरी
371–समरपाल सिंह, श्री — बागपत
372–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं० — मुरादाबाद
373–सलिल विशनोई, श्री — कानपुर नगर
374–सिद्ध गोपाल साहू, श्री — महोबा
375–सियाराम सागर, डा० — बरेली
376–सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
377–सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
378–सुख देवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
389–सुन्दर लाल, श्री — उन्नाव
380–सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
381–सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा० — बांदा
382–सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री — गाजियाबाद
383–सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — जौनपुर
384–सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री — रायबरेली
385–सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
386–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
387–सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
388–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
389–सुल्तान बेग, श्री — बरेली
390–सुशील चौधरी, डा० — सहारनपुर
391–सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
392–सोमारू राम सरोज, श्री — जौनपुर
393–सोवरन सिंह, श्री — मैनपुरी
394–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
395–हरि ओम यादव, श्री — फिरोजाबाद
396–हरि प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
397–हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
398–हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री — वाराणसी
399–हीरा लाल गौतम, श्री — आजमगढ़
400–हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
401–होशियार सिंह, श्री — बुलन्दशहर
402–जंग बहादुर, श्री — सुल्तानपुर
**403–अरविन्द सिंह, श्री — बाराबंकी
*404–रिक्त

* मृत्यु के कारण रिक्त ।

महामहिम राज्यपाल

श्री विष्णुकान्त शास्त्री

मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्ट फोलियो)
1	2	3
1–	कुमारी मायावती (मुख्य मंत्री)	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, न्याय, विधायी, औद्योगिक विकास (भूतत्व एवं खनिज तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री को छोड़कर) नियोजन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ।
2–	श्री लालजी टण्डन	आवास, नगर विकास
3–	श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी	परिवहन, आबकारी
4–	श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई
5–	श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास
6–	श्री राम प्रकाश त्रिपाठी	सहकारिता
7–	श्री इन्द्रजीत सरोज	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार
8–	श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
9–	श्री सुखदेव राजभर	संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग
10–	श्री हुकुम सिंह	कृषि
11–	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	खादी एवं ग्रामीण उद्योग
12–	श्री कोकब हमीद	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
13–	श्री रामवीर उपाध्याय	ऊर्जा
14–	श्रीमती अनुराधा चौधरी	लोक निर्माण
15–	श्री लाल जी वर्मा	चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद चिकित्सा को छोड़कर)
16–	श्री रवि गौतम	राजस्व
17–	श्री ठाकुर जयवीर सिंह	वन
18–	श्री बाबूराम एम० काम०	खाद्य एवं रसद
19–	श्री जगदीश नारायण राय	लघु उद्योग
20–	श्री बाबू सिंह कुशवाहा	भूतत्व एवं खनिज
21–	श्रीमती प्रेमलता कटियार	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
22–	श्री हरिशंकर तिवारी	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, मनोरंजन कर
23–	श्री राम शंकर (पाल)	लघु सिंचाई
24–	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	उच्च शिक्षा
25–	श्री वेद राम भाटी	कारागार

1	2	3
26–श्री फागू चौहान		परिवार कल्याण
27–श्री राज किशोर सिंह		उद्यान
28–श्री महेन्द्र सिंह यादव		माध्यमिक शिक्षा
29–श्री आर० के० सिंह पटेल		वाह्य सहायतित परियोजनाएं (ग्राम्य विकास)
30–श्री राजेश अग्रवाल		कर एवं निबन्धन
31–श्री रमेश कुमार शर्मा		संस्कृति

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1–डा० शीमा रिजवी	इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी
2–श्री अक्षयवर लाल गौड़	होमगार्ड्स
3–श्री सुरेश कुमार खन्ना	पर्यटन
4–श्री कमला प्रसाद रावत	होम्योपैथिक चिकित्सा
5–श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेई	पशुधन एवं दुग्ध विकास
6–श्री श्याम देव राय चौधरी	कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, भाषा
7–श्री राम प्रसाद चौधरी	पंचायती राज
8–श्री धर्मपाल सिंह	श्रम
9–श्रीमती अमिता सिंह	प्राविधिक शिक्षा
10–श्री संखलाल मांझी	मत्स्य
11–चौधरी बाबू लाल	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
12–श्री श्याम नारायन	विकलांग कल्याण
13–श्री कामेश्वर	कृषि शिक्षा
14–श्री नवाब काजिम अली खां	अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज
15–श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला	आयुर्वेद चिकित्सा
16–श्री राजपाल त्यागी	ग्राम्य विकास (वाह्य सहायतित परियोजनाओं को छोड़कर)
17–श्री दिनेश सिंह	खेलकूद
18–श्री विनोद कुमार यादव	पिछड़ा वर्ग कल्याण
19–श्री महबूब अली	मुस्लिम वक्फ

राज्य मंत्री

क्र०सं० नाम	कार्य विभाग (पोर्ट फोलियो)
1 2	3
1–श्री शिव चरन (प्रजापति)	प्रौढ़ शिक्षा, बैंकिंग
2–श्री अमरजीत सिंह जनसेवक	माध्यमिक शिक्षा
3–श्री सेठ किशन लाल बघेल	निर्यात प्रोत्साहन
4–श्री ओम प्रकाश पाण्डे	उच्च शिक्षा
5–श्री घनश्याम शुक्ला	राजस्व
6–श्री हीरा लाल गौतम	मद्य निषेध
7–श्री नवाब सिंह नागर	सिंचाई
8–श्री अमर मणि त्रिपाठी	मुद्रण एवं लेखन सामग्री
9–श्री फतेह बहादुर	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
10–श्री अकीकुर्रहमान	खाद्य प्रसंस्करण
11–श्री भरत सिंह	खाद्य एवं रसद
12–डा० सुरेन्द्र पाल वर्मा (लोधी)	सैनिक कल्याण
13–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह	कृषि
14–श्री राजपाल सिंह सैनी	युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल
15–डा० विनोद तिवारी	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
16–श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया	धर्मार्थ कार्य
17–श्री शिवेन्द्र सिंह	आवास
18–श्री सतीश महाना	नगर विकास
19–श्री कुं० भारतेन्द्र सिंह	सिंचाई
20–श्री भूपेन्द्र सिंह (कुर्मी)	अनौपचारिक शिक्षा, राजनैतिक पेंशन
21–श्री स्वामी ओइमवेश	लोक निर्माण
22–श्री तेजपाल सिंह	लोक निर्माण
23–श्री अजय राय	सहकारिता
24–श्रीमती माया प्रसाद	महिला कल्याण
25–श्री राम भुआल	अम्बेडकर ग्राम विकास
26–श्री राम अचल राजभर	बेसिक शिक्षा
27–श्री हाजी याकूब	सार्वजनिक उद्यम
28–श्री महेन्द्र सिंह	नागरिक सुरक्षा

नेता विरोधी दल

श्री मोहम्मद आज़म खां

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

अधिष्ठाता मण्डल

1–**श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"**, सदस्य, विधान सभा (वाराणसी),
2–**श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव**, सदस्य, विधान सभा (लखनऊ),
3–**श्री गया चरण** दिनकर, सदस्य, विधान सभा (बांदा)
4–**श्री भगेलू राम**, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर),
5–**डा० अशोक** बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई),
6–**श्री सीताराम** निषाद, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद),
7–**डा० वकार** अहमद शाह, सदस्य, विधान सभा (बहराइच),
8–**श्री श्याम सूरत** उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद),
9–**श्री वीरेन्द्र सिंह**, सदस्य, विधान सभा (मुजफ्फरनगर),
10– ——रिक्त——

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2003

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।)

उपस्थित सदस्य–383

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कुमार, श्री	बागपत
अजय राय, श्री	वाराणसी
अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री	बदायूं
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनुराधा चौधरी, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमरमणि, श्री	महराजगंज
अमिता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा०	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अली बहादुर, श्री	बहराइच
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर०एस० कुशवाहा, श्री	खीरी
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
आर०के० सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा०	बिजनौर
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उदयराज, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ऊषा वर्मा, श्रीमती	हरदोई
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं

ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ० पी० सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कमलेश कुमार पासवान, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कलिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशी राम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशनलाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री	वाराणसी
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा०	उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर/पडरौना
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीस सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जयप्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
ददू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनग़र
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर,भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायन उर्फ जी०एम० सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबा फूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा

देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
धर्म सिंह सैनी, डा०	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम, श्री	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
पकौड़ी लाल, श्री	मिर्जापुर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पी० के० राय, डा०	कुशीनगर/पडरौना
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर/पडरौना
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेमपाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फसीहा मुराद लारी उर्फ गजाला, श्रीमती	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू राम, एम०काम०, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल, चौधरी	आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ०, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह जाटव चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मानपाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मायावती, सुश्री	सहारनपुर

मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुस्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र, श्री	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, श्री	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो० शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा०	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर/पडरौना
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर/पडरौना
रमेश कान्त लवानिया, श्री	आगरा
रमेश कुमार शर्मा, श्री	झांसी
रमेश चन्द बिन्द, डा०	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो०	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल; श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर/पडरौना
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम बाबू हरित, डा०	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबा फूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत

रेवती रमण सिंह, कुं०	इलाहाबाद
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा०	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर ,भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	फर्रुखाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विजेन्द्र सिंह, श्री	हाथरस
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा०	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल उर्फ पप्पी, श्री	बदायूं
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना, श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगतराजा', श्री	ललितपुर
वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शंख लाल मांझी, श्री	सन्त कबीर नगर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव प्रताप यादव, डा०	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्याम देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ

सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सत्य नारायण, श्री	हरदोई
सन्ध्या कठेरिया, कु०	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सलिल विशनोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा०	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुख देवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा०	बांदा
सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा०	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
अरविन्द सिंह, श्री	बाराबंकी

नोटः– परिवहन एवं आबकारी मंत्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2003

(श्री अधिष्ठाता पीठासीन होने पर)

राष्ट्रीय गीत

श्री अधिष्ठाता–

मैं विधान सभा के प्रथम सत्र के आरम्भ पर सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं। सदन की कार्यवाही "वन्दे मातरम्" से आरम्भ होगी।

वन्दे मातरम्

वंन्दे मातरम्। वन्दे मातरम् ।।
सुजलाम्।
सुफलाम्।
मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम्,
मातरम्। वन्दे मातरम् ।।
शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्
फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्
सुहासिनीम्,
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम्। वन्दे मातरम् ।।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अधिष्ठाता द्वारा आंशिक पाठ

श्री अधिष्ठाता–

मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा एक साथ समवेत् दोनों सदनों को दिये गये अभिभाषण को पढ़कर सुनाता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल ने एक भी शब्दं का उच्चारण इस सदन में नहीं किया हैं। जब उन्होंने एक साथ समवेत दोनों सदनों को सम्बोधित ही नहीं किया है तो उसका पुनः पाठ किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति हो, जब महामहिम श्री राज्यपाल महोदय में नैतिक साहस न

हो कि वह सदन में आकर सम्बोधित कर सकें तब तक श्रीमन्, आपके द्वारा उसका दोबारा पाठ किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने सुना है । महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के प्रथम पृष्ठ का अंश पढ़ा है और अन्तिम पृष्ठ के अंश को पढ़ा है, तो यह इस सदन की परम्परा सी बन गयी है । इसलिये मैं समझता हूं कि अभिभाषण पढ़ा गया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने सुना । यह सदन सत्ता पक्ष, विपक्ष और पीठ से बनता है । लेकिन जो उप नेता ने बात उठायी है, हम लोग बैठे हैं, इस सदन में और लोग बैठे हैं इस सदन के किसी सदस्य ने श्री राज्यपाल के अभिभाषण की नहीं सुना ।

(सुना है, सुना है की आवाजें ।)

(शोर)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, सबके सुनने की फ्रीक्वेंसी अलग-अलग है । इसमें ऐसी कल्पना करके कि भाषण पढ़ा गया है, श्रीमन् आपने कहीं सुना नहीं हैं, सदन में आकर उन्होंने एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया है । अखबार में उन्होंने कहा था कि मैं एक शब्द शुरू का पढ़कर जय राम जी कहकर चला जाऊंगा, जय राम जी उन्होंने नहीं कहा और उन्होंने अभिभाषण का कोई अंश पढ़ा ही नहीं तो जब तक महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण इस सदन में पढ़ा नहीं तब तक दोबारा उसका पाठ किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

अभिभाषण पढ़ा गया है । अगर शोर मचायेंगे तो सुनायी नहीं देगा ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अधिष्ठाता द्वारा आंशिक पाठ (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

मैं श्री राज्यपाल द्वारा एक साथ समवेत् दोनों सदनों को दिये गये अभिभाषण को पढ़ रहा हूं । "माननीय सदस्यगण, विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदस्यों के इस अधिवेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हार्दिक शुभकामनायें देता हूं । आप सभी माननीय सदस्यों को आज सम्बोधित करते हुये जहां मुझे हार्दिक प्रसन्नता है, (व्यवधान) वहीं इस बात का दुख भी है कि विधान मण्डल के माननीय सदस्य श्री सर्वशक्ति कुमार सिंह, श्री नूर मोहम्मद और श्री रामजीत राजभर अब हमारे बीच नहीं रहे ।

(व्यवधान जारी)

आवास नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ माना जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है । यह पढ़ा हुआ माना जाता है ।

[मैं इनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीयुत श्रीपति मिश्र हमारे बीच नहीं रहे । मैं उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । इसी अवसर पर मैं भारत की पहली महिला अन्तरिक्ष यात्री सुश्री कल्पना चावला और उनके साथियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो विगत दिनों अन्तरिक्ष यान कोलम्बिया की दुर्घटना के शिकार हुए । साथ ही मैं उत्तर प्रदेश और भारत के यशस्वी कवि स्वर्गीय हरिवंशराय बच्चन को भी श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं ।

जिस दिन से मेरी सरकार ने कार्यभार संभाला है, उसी दिन से मेरी सरकार का यह मुख्य लक्ष्य रहा है कि प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त और भयमुक्त वातावरण तैयार हो । मेरी सरकार ने विगत दिनों इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बड़े से बड़े अपराधियों, असामाजिक तत्वों एवं माफिया गिरोहों के विरुद्ध बिना किसी दबाव के और बिना किसी भेदभाव के सख्त से सख्त कार्रवाई की है । मेरी सरकार का यह निश्चित मत है कि किसी भी अपराधी को जनता को उत्पीड़ित करने या भयभीत करने नहीं दिया जायेगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो । मुझे इस बात की खुशी है कि इन ठोस कार्रवाइयों के फलस्वरूप जनसामान्य में आज एक सुरक्षा की भावना बनी है तथा अपराधियों में कानून के प्रति भय का वातावरण बना है ।

मेरी सरकार आन्तरिक सुरक्षा व उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं के प्रति विशेष रूप से गम्भीर व सजग है । अन्तर्राज्यीय आतंकवादी संगठनों एवं अवैध अस्त्र-शस्त्र और मादक पदार्थों के तस्करों की गतिविधियों पर कठोर अंकुश लगाने की दृष्टि से मेरी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस अंतर्राज्यीय सीमा सुरक्षा बल का गठन किया है ।

आज के युग में देश और विदेश से संचालित आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों के कारण विशिष्ट और अतिमहत्वपूर्ण महानुभावों की सुरक्षा का दायित्व और अधिक जटिल हो गया है । इन महानुभावों की व्यक्तिगत सुरक्षा-व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक और साम्प्रदायिक रूप से अतिसंवेदनशील स्थानों जैसे–अयोध्या, मथुरा और वाराणसी एवं बाबा साहब डा० अम्बेडकर स्मारक लखनऊ की सुरक्षा-व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है ।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के कार्यकाल में प्रशासनिक सजगता एवं सतर्कता के कारण सामाजिक सौहार्द में वृद्धि हुई है और कोई भी साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाली घटना को घटने नहीं दिया गया है । जातीय द्वेष की स्थिति में भी गुणात्मक सुधार हुआ है । अयोध्या प्रकरण के बारे में मेरी सरकार का यह निश्चित मत है कि इसका समाधान आपसी सहमति अथवा न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही होना चाहिए । मेरी सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसी

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कोई भी घटना घटने नहीं दी जायेगी, जिससे प्रदेश के अमन-चैन के वातावरण पर कोई आंच आये या साम्प्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचे ।

मुझे आज यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में सभी प्रकार के अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है । मेरी सरकार ने यह स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं कि हर अपराध की घटना की ईमानदारी से दर्ज किया जाये और अगर इसकी वजह से अपराधों की संख्या बढ़तीं है, तो उसकी चिन्ता न की जाये । अधिकारियों का मूल्यांकन केवल दर्ज किये गये अपराधों पर की गयी कार्रवाई के आधार पर किया जायेगा न की अपराधों की संख्या पर । इससे अपराधों के दर्ज न किये जाने तथा उनके न्यूनीकरण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और अपराधों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित होगा ।

नक्सलवाद की समस्या हमारे प्रदेश के कुछ पूर्वी भागों में विगत कुछ वर्षों से बढ़ रही है । मेरी सरकार ने इसे केवल एक आपराधिक विषय न मानकर मानवीय समस्या के रूप में देखा है और इसके निराकरण के लिए उच्च स्तरीय पुलिस प्रबन्ध व विकास की दोहरी रणनीति अपनाई है । 297 नक्सल प्रभावित गांवों को डा० अम्बेडकर ग्रामों के रूप में चयनित किया गया है ताकि उनका समग्र विकास हो सके और नक्सलवाद के मूल कारण गरीबी, असमानता व उत्पीड़न को जड़ से समाप्त किया जा सके । इन क्षेत्रों को सड़कों तथा बिजली से भी प्राथमिकता से जोड़ा जा रहा है ताकि न केवल लोगों को विकास के नये अवसर मिलें बल्कि पुलिस की गश्त आदि भी प्रभावी तौर पर की जा सके ।

मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में विशेष रूप से प्रयत्नशील मेरी सरकार ने प्रदेश में पहली बार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया है ।

आप सब माननीय सदस्यगण अवगत ही हैं कि विगत महीनों में मेरी सरकार का यह प्रयास रहा है कि प्रदेश में कठोर वित्तीय अनुशासन स्थापित हो और सरकार के अनुत्पादक एवं अनावश्यक खर्चे कम किये जायें ताकि विकास और कल्याण के लिए अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध हो । पूरे प्रदेश को पहली बार जोनों में बांटकर मुख्य सचिव के स्तर से राजस्व की अभिवृद्धि के अनुश्रवण की व्यवस्था स्थापित की गयी, जिसके सकारात्मक परिणाम आये हैं और विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष सरकार की आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है । इस वर्ष जनवरी तक पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्ति में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

मेरी सरकार ने अनुत्पादक खर्चों को भी घटाने के विशेष प्रयास किये और प्रमुख मदों में अनावश्यक खर्चों में उल्लेखनीय कमी हासिल की है । इन प्रयासों का यह परिणाम हुआ है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधरने लगी है और विकास के कार्यक्रमों में गति आई है । प्रदेश की वार्षिक योजना 2002-2003 के लिए अनुमोदित परिव्यय 7250 करोड़ रुपये के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष के दौरान 7182 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जो लगभग 99 प्रतिशत है ।

संसाधनों के बेहतर एवं दक्ष उपयोग के लिए डवटेलिंग की व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया गया है ताकि सभी विभागों के संसाधनों को एकजाई करके अधिक से अधिक भौतिक उपलब्धि हासिल की जा सके । इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण विद्युतीकरण एवं सम्पर्क मार्ग जैसी योजनाओं को बेहतर रूप से क्रियान्वित करने में मेरी सरकार को सफलता मिली है ।

मेरी सरकार का यह मत है कि समाज के हर वर्ग का विकास हो और उन्हें न्याय मिले लेकिन दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं अन्य कमजोर तबके के लोगों के हितों को प्राथमिकता दी जाये । मेरी सरकार ने अपनी इस प्राथमिकता को बहुत हद तक पूरा किया है ।

वर्षों से रुके भूमि सुधार के कार्यक्रमों को नई गति देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य भूमिहीनों को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए विशेष अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया है, जिसके तहत कुल पट्टेदारों में से 99 प्रतिशत पट्टेदारों को जमीन पर वास्तविक कब्जा दिलाया जा चुका है । इसके अतिरिक्त भूमि आवंटन की विधिक प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया है और कानून में संशोधन करके यह सुनिश्चित किया गया है कि पट्टों से संबंधित विवाद जनपद स्तर पर ही निस्तारित हो जाये । पट्टेदारों की भूमि पर अवैध रूप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी प्राविधान किये गये हैं, ताकि समाज के दबे और शोषित वर्गों पर उत्पीड़न और जुल्म को समाप्त किया जा सके ।

समाज के वंचित वर्गों को विकास की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विगत वर्षों में चयनित अम्बेडकर गांवों को सम्पर्क मार्ग, बिजली, खड़न्जा एवं नाली निर्माण, स्वच्छ शौचालय, निःशुल्क बोरिंग, स्वरोजगार योजनाओं, इन्दिरा आवास, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक शिक्षा एवं पेंशन योजनाओं से संतृप्त किया जाये । मेरी सरकार द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि इस योजना के तहत पूर्व में चयनित गांवों को इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक संतृप्त कर दिया जाये ।

मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि अम्बेडकर ग्राम विकास योजना का वास्तविक लाभ जनता तक पहुंचे और गुणवत्ता से कहीं कोई समझौता न हो, सत्यापन की एक विस्तृत पद्धति और व्यवस्था का विकास किया है, जिसके तहत शासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी आकस्मिक निरीक्षण कर योजना की गुणवत्ता और प्रेषित रिपोर्टों की वास्तविकता का आंकलन किया जाता है । आगामी वर्षों में भी हर विधान सभा क्षेत्र में अम्बेडकर गांवों का चयन करके उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जायेगा ताकि धीरे-धीरे प्रदेश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया जा सके । मेरी सरकार ने देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान में 68 कारगिल शहीदों के ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित कर उन्हें अम्बेडकर ग्राम का दर्जा दिया है ।

मेरी सरकार ने सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों को भरने का एक विशेष अभियान प्रारम्भ किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं तथा वर्षों से खाली पदों को भरा जा सका है । इस अभियान के तहत सीधी भर्ती के 272 और पदोन्नति के 430 रिक्त पदों को भरा गया है । इन पदों के रिक्त रहने के कारणों को चिन्हित किया गया है तथा विधि व नियमों को संशोधित कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आरक्षित पदों को भरने में कोई प्रक्रियात्मक कठिनाई न रहे । विकलांगों के लिए सरकारी सेवा में तीन प्रतिशत आरक्षण के विपरीत रिक्त पदों को भरने का एक विशेष अभियान चलाये जाने का निर्णय हाल ही में मेरी सरकार द्वारा लिया गया है ।

राशन की दुकानों के आवंटन में भी वंचित व निर्बल वर्गों के प्रतिनिधित्व को मेरी सरकार सुनिश्चित कर रही है । इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के साथ महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की गयी है ।

माननीय सदस्यगण, प्रदेश में महिलाओं को उनके संविधान प्रदत्त अधिकार दिलाने के उद्देश्य से और कानूनों में यथोचित प्राविधान किये जाने के संबंध में परामर्श देने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने एक नौ सदस्यीय राज्य महिला आयोग का गठन किया है । महिलाओं के लिए प्रदेश में पहली बार मेरी सरकार द्वारा इंजीनियरिंग कालेजों और मेडिकल कालेजों में 20 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान किया

गया है ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हो सके और देश और प्रदेश के विकास से जुड़ सकें। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा में प्रत्यक्ष सुधार हुआ है और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में लगभग 40 प्रतिशत की कमी आई है।

मेरी सरकार ने जहां प्रदेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सम्मान का पूरा ख्याल रखा है, वहीं मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक मदरसे में एक शिक्षक के वेतन का भुगतान सरकार द्वारा किये जाने की योजना चलायी जा रही है। मेरी सरकार वक्फों के विकास के लिए कृत संकल्प है और इसके लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इस वर्ष अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से उत्तर प्रदेश के साढ़े सात हजार से अधिक हाजी हज यात्रा के लिए गये हैं और मेरी सरकार द्वारा उनकी सभी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया है। मेरी सरकार द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है कि प्रदेश के हाजियों के हित को देखते हुए लखनऊ तथा नोयडा में दो हज हाउसों का निर्माण त्वरित गति से कराया जाये।

मेरी सरकार द्वारा विकलांग कल्याण के क्षेत्र में, विकलांगों के सामाजिक और शैक्षिक उत्थान में लगी गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदानित किये जाने की योजना लागू की गयी है। मेरी सरकार द्वारा विकलांगों को स्वरोजगार दिलाने के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम को पांच करोड़ रुपये की शासकीय गारन्टी उपलब्ध करायी गयी है।

सामाजिक विषमताओं को दूर करने के साथ ही मेरी सरकार क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस वर्ष भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के पांच पिछड़े जनपदों यथा–हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव तथा सोनभद्र में राष्ट्रीय सम विकास योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत आगामी तीन वर्षों तक प्रत्येक जनपद के लिए 15-15 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। इस धनराशि का उपयोग मूलभूत सुविधाओं जैसे सम्पर्क मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, निजी लघु सिंचाई आदि के लिए किया जायेगा। वर्ष 2003-2004 में आठ नये जनपदों में इस योजना का विस्तार होगा।

प्रदेश के पूर्वांचल के 29 जनपदों और बुन्देलखण्ड के सात जनपदों में क्रमशः पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड विकास निधि के अधीन 200 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा रहा है ताकि इन पिछड़े क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। स्थानीय असमानताओं को दूर करने के लिए विधायक निधि के अन्तर्गत 378.75 करोड़ रुपये की तथा सांसद निधि के अन्तर्गत 182 करोड़ रुपये की योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं।

आप सब माननीय सदस्यगण यह जानते ही हैं कि आज भी उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनता गांवों में रहती है। मेरी सरकार की यह सर्वोच्च प्राथमिकता रही है कि कृषि एवं ग्राम्य विकास के कामों में तेजी लायी जाये, जिससे जहां एक ओर प्रदेश की विकास दर में वृद्धि हो, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों के जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार हो। मेरी सरकार ने जहां एक ओर किसानों के लिए कृषि निवेशों की समय आपूर्ति सुनिश्चित की है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में पहली बार कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु फार्म मैनेजमेन्ट काउन्सिल के गठन व पंजीयन का निर्णय लिया है। किसानों के हित के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के मुख्यालय पर किये जाने वाले फसल पर पंजीकरण कराने की सरल प्रक्रिया खरीफ 2002 से लागू की गयी है। प्रदेश की 20 मण्डियों में नेट पोर्टल सुविधा का विस्तार तथा कुछ अन्य मण्डियों में कृषि उपज के वर्गीकरण इकाइयों की स्थापना भी की जायेगी जिससे किसानों को अपने उत्पाद का सही दाम मिल सके।

किसानों की कृषि निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहकारिता विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है । वर्ष 2002-2003 में दिसम्बर तक 1240 करोड़ रुपये का ऋण किसानों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया गया । इसके अलावा आठ लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किये गये ।

मेरी सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि प्रदेश के किसानों को उनकी मेहनत का जायज मूल्य मिले । खरीफ वर्ष 2002-2003 के लिए धान क्रय योजना के अन्तर्गत 16 दिसम्बर तक साढ़े छह लाख टन लक्ष्य के सापेक्ष 7,15,000 टन से अधिक की धान की खरीद हुई है । आगामी वर्ष में गेहूं की खरीद का लक्ष्य 25 लाख टन रखा गया है और इनका क्रय भी लगभग 4200 क्रय केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा ।

माननीय सदस्यगण आप सभी जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है । मेरी सरकार गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है । मुझे यह बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस वर्ष सूखे की मार के बावजूद प्रदेश की चीनी मिलों में रिकार्ड उत्पादन होने का अनुमान है । वर्ष 2001-2002 में लगभग पांच हजार करोड़ रुपये का गन्ना किसानों द्वारा चीनी मिलों को बेचा गया, जिसके सापेक्ष रिकार्ड 99.40 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को कर दिया गया है । मेरी सरकार के विशेष प्रयास से राज्य चीनी निगम की 22 चीनी मिलों एवं राज्य सहकारी चीनी मिल संघ की सभी 27 चीनी मिलों द्वारा वर्ष 2001-2002 का गन्ना मूल्य शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है । राज्य सरकार ने उक्त दोनों संस्थाओं को अब तक की सर्वाधिक 200 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करायी है ।

विधिक जटिलताओं के बावजूद मेरी सरकार प्रयासरत है कि पिछले वर्ष गन्ना किसानों को उनके गन्ने का जो मूल्य दिया गया था उससे कम मूल्य इस वर्ष न दिया जाय । वर्तमान पेराई सत्र के दौरान भी, निजी मिलों समेत, सभी चीनी मिलों द्वारा देय गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं, जिसके फलस्वरूप अभी तक 1040 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है । इस वर्ष भी मेरी सरकार द्वारा हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है कि गन्ना किसानों का अधिक से अधिक गन्ना चीनी मिलों द्वारा पेरा जा सके । मेरी सरकार द्वारा दी गयी प्रवेश कर में माफी और क्रय कर तथा गन्ना समिति को देय कमीशन में छूट से भी प्रदेश के गन्ना किसानों को राहत मिली है ।

उत्तर प्रदेश के चीनी उत्पादन के भविष्य को देखते हुए पुरानी तथा अलाभकारी गन्ना प्रजातियों के स्थान पर नवीन उन्नतशील गन्ना प्रजातियों के बीज बदलाव का कार्यक्रम वर्तमान में चलाया जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में चीनी उत्पादन के क्षेत्र में देश में अव्वल स्थान को बरकरार रख सके ।

आलू उत्पादन प्रदेश की प्रमुख फसलों में से एक है । इस वर्ष आलू किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए मेरी सरकार द्वारा आलू निर्यात के द्वार खोल दिये गये हैं । मेरी सरकार द्वारा पड़ोसी देशों में आलू निर्यात को सुलभ करने के लिए हाल ही में तूतिकोरिन और मुम्बई के समीप शीतगृह की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है । देश के दूसरे राज्यों में आलू भेजने के लिए परिवहन भाड़े में अनुदान देने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश के आलू किसानों को अपने उपज का वास्तविक मूल्य मिल सके ।

मेरी सरकार का यह मत है कि किसानों तथा ग्रामों का दीर्घकालिक विकास अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण के बगैर सम्भव नहीं है । ग्रामीण अवस्थापना को विशेष महत्व देते हुए मेरी सरकार ने पहली बार ग्रामीण अवस्थापना आयुक्त का नया पद सृजित किया है, जिसके क्षेत्राधिकार में उन सभी विभागों को शामिल किया गया है, जो ग्रामीण अवस्थापना से सम्बन्धित हैं । इसी सन्दर्भ में सिंचाई सुविधाओं, ग्रामीण सड़कों तथा विद्युतीकरण को विशेष महत्व दिया जा रहा है ।

मेरी सरकार कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों की खुशहाली के लिए अधिक से अधिक सिंचाई सुविधा ससमय उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है । इस दिशा में मेरी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं । इस वर्ष चार परियोजनाएं–हिंडन कृष्णी दोआब नहरें, ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोज़ना एवं राष्ट्रीय जल प्रबन्ध (शारदा नहर) परियोजना पूरा किया जाना प्रस्तावित है । वृहद् व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से एक लाख 45 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा । अगले वर्ष प्रदेश के 11 जीर्ण-शीर्ण पम्प नहरों का पुनरुद्धार कराया ज़ायेगा ।

माननीय सदस्यगण, दसवीं पंचवर्षीय योजना को जलसंचयी योजना का नाम दिया गया है । इस योजना के तहत प्रदेश में नदियों और नालों पर चेक डैम बनाकर जल संचय किया जायेगा और पुराने जलाशयों की पुनर्स्थापना करके किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।

वर्ष 2002-2003 में विश्व बैंक द्वारा पोषित वॉटर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना को प्रारम्भ किया गया है, जिसके माध्यम से जनसहभागिता को सुनिश्चित करते हुए सिंचाई संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जायेगा, जिसका दीर्घकालिक लाभ प्रदेश के किसानों को मिल सकेगा ।

नहरों के साथ-साथ चालू वित्तीय वर्ष में मेरी सरकार द्वारा करीब 1600 निजी गहरे नलकूप और करीब 70 हजार निःशुल्क बोरिंग के माध्यम से 3 लाख 71 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित की जा रही है । अगले वर्ष भी 1600 गहरे नलकूप, 68 हजार निःशुल्क बोरिंग, 69 चेक डैम और 147 तालाबों के जीर्णोद्धार के माध्यम से तीन लाख 66 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने की योजना है ।

वर्तमान सिंचाई परियोजनाओं की सृजित सिंचन क्षमता की पूर्ण उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के 48 जनपदों में मेरी सरकार द्वारा समावेश विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है । साथ ही सूखा बहुल 15 जनपदों के 60 विकास खण्डों में 39 करोड़ रुपये से 75 हजार हेक्टेयर समस्याग्रस्त क्षेत्र को उपचारित किया जा रहा है ।

गांवों के विकास में सड़कों की निर्णायक भूमिका होती है । मेरी सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि न केवल सड़कों की वर्तमान व्यवस्था को बढ़िया रख-रखाव के माध्यम से और बेहतर बनाया जाये, बल्कि जो गांव अभी तक सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़े हैं, उन्हें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सड़कों से जोड़ा जाये । इस दिशा में भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को और अधिक गति से चलाया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 70 जनपदों में कुल 249 पैकजों के तहत 639 करोड़ रुपये की लागत की 1529 सड़कों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है । इसके अतिरिक्त विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश में सड़कों के विस्तार की लगभग 3000 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी योजना दिनांक 19 फरवरी, 2003 से प्रारम्भ कर दी गयी है ।

सड़कों के निर्माण के साथ-साथ प्रदेश की जनता को विश्वसनीय, आरामदेह और सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है । परिवहन निगम बस बेड़े को सुदृढ़ करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 586 नई बसें इस बेड़े में सम्मिलित की गयी हैं और निगम को 5 करोड़ रुपये से अधिक का नगद लाभ हुआ है । लखनऊ और गौतमबुद्धनगर होकर नई दिल्ली जाने वाली तथागत बस सेवा का प्रारम्भ किया गया है और लखनऊ में डॉ० भीमराव बस स्टेशन की स्थापना भी की गयी है । परिवहन निगम द्वारा साहिबाबाद, जनपद गाजियाबाद में भी बस स्टेशन का निर्माण कराया जायेगा जिससे प्रदेश के विभिन्न स्थानों से दिल्ली तक बसों के संचालन और सेवा विस्तार से सुविधा होगी ।

ग्रामीण विद्युतीकरण को नई गति देने के लिए मेरी सरकार ने यह फैसला लिया है कि भारत सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की बकाया धनराशि को एक विशेष पैकेज के अन्तर्गत सरकारी बजट की सहायता से चुका दिया जाये ताकि इस कार्यक्रम हेतु नये कर्ज लिये जा सकें और अधिक से अधिक गांवों तक बिजली पहुंचाई जा सके । मेरी सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से एक समझौता करके कम ब्याज पर देयों के भुगतान करने में सफलता प्राप्त की है । इसके फलस्वरूप आगामी 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को 591 करोड़ रुपये का लाभ होगा ।

गरीब लोगों तक बिजली का प्रकाश ले जाने के लिए मेरी सरकार ने विशेष प्रयास करके केन्द्र सरकार से 10 करोड़ रुपये की धनराशि कुटीर ज्योति योजना के लिए स्वीकृति प्राप्त की है, जिससे 67 हजार कनेक्शन पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे ।

ऊर्जा का प्रदेश के औद्योगिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में अधिक महत्व है । मेरी सरकार प्रदेश के हर नागरिक को अधिक से अधिक बिजली देना चाहती है, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से यह वर्तमान में सम्भव नहीं हो पा रहा है । वर्षों के कुप्रबंधन के कारण राज्य विद्युत निगम की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गयी है, जिसको सुधारना नितान्त आवश्यक है । इसके लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है कि शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाये, लाइन हानि कम की जाये और विद्युत चोरी रोकी जाये । सरकार के विशेष प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की आय में इस वर्ष 288 करोड़ रुपय की वृद्धि हुई है तथा खर्चों में 655 करोड़ रुपये की कमी की गयी है ।

पहली बार मेरी सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड पर केन्द्रीय प्रतिष्ठानों के बकायों का समय से भुगतान किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में लाइन हानियों में पांच प्रतिशत कमी की गयी है । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार के ऊर्जा उत्पादन करने वाले निगमों को 129 करोड़ रुपये अधिक का भुगतान किया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के विद्युत गृहों के प्लाण्ट लोड फैक्टर में लगभग दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यह संतोष की बात है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जनवरी तक विद्युत उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है ।

ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच लगातार बढ़ रहे अंतर को कम करने के लिए भी मेरी सरकार प्रयत्नशील है । पारीछा, झांसी में 1425 करोड़ रुपये की लागत से 210-210 मेगावॉट की दो विद्युत इकाइयों का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है और ओबरा में 486 करोड़ रुपये की लागत से 50-50 मेगावॉट की पांच इकाइयों के जीर्णोद्धार हेतु अनुबंध हस्ताक्षरित किया जा चुका है । 1000 मेगावॉट की क्षमता

की अनपारा 'सी' परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दिलाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

आर्थिक अवस्थापना के साथ सामाजिक अवस्थापना का विकास प्रदेश की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के लिए प्रदेश में डेढ़ किलोमीटर की परिधि में 300 की आबादी पर प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की नीति अपनाई गयी है। एक किलोमीटर की परिधि में 30 बच्चों की उपलब्धता पर 5719 एजुकेशन गारंटी केन्द्रों की भी स्थापना की गयी है। मेरी सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से अब प्रदेश के सभी जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान को इस वर्ष से लागू कर दिया गया है। इस योजना के अधीन 371 नये प्राथमिक विद्यालय और 2602 नये उच्च-प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं।

मेरी सरकार द्वारा कक्षा एक से पांच तक के सभी बालक और बालिकाओं तथा 6 से 8 तक की समस्त बालिकाओं व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी किया गया है।

मेरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के 29 भवनहीन राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा 16 प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 21 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है और अगले वर्ष भी नौ भवनहीन विद्यालयों और 13 प्रयोगशालाओं का निर्माण कराया जायेगा। आज के विश्व के परिदृश्य में कम्प्यूटर के महत्व को समझते हुए मेरी सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी जनपदों में कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किये जायें।

उच्च शिक्षा का प्रदेश के विकास में विशेष महत्व है। मेरी सरकार ने विश्वविद्यालयों के सत्र को नियमित करने के अलावा यह विशेष प्रयास किये हैं कि विश्वविद्यालयों में दी जा रही शिक्षा में गुणात्मक सुधार आये। इस प्रयोजन मेरी सरकार ने जहां नकल विहीन परीक्षा के प्रभावी उपाय किये हैं, वहीं शिक्षकों के प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग को प्रतिबंधित कर दिया है। मेरी सरकार ने प्रदेश में तीन उच्च-स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी निर्णय लिया है। जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, वहीं लखनऊ में विश्वविख्यात के०जी०एम०सी० को उच्चीकृत करके छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल यूनीवर्सिटी के रूप में गठित किया है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि संकाय को उच्चीकृत करके डॉ० अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय बनाने का फैसला लिया है।

आज के भूमंडलीकरण और उदारीकरण के युग में यह आवश्यक हो गया है कि प्रदेश का युवा वर्ग उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्राप्त करे। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित 'तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम' नामक परियोजना संचालित की जायेगी, जिसके अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में प्रदेश की अभियंत्रण संस्थाओं को 300 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है। ज्ञान-विज्ञान के संदर्भ में ही माननीय सदस्यगण को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कई दशकों से अवरुद्ध लखनऊ नक्षत्रशाला का मार्च माह में जनसाधारण के लिए खोला जाना संभावित है।

सूचना प्रौद्योगिकी को जनता के कल्याण का साधन बनाने के लिए मेरी सरकार ने एस०जी०पी०जी०आई०, छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय तथा प्रदेश के अन्य छह

चिकित्सा महाविद्यालयों को उपग्रह के माध्यम से जोड़ने का काम आरम्भ किया है, जिससे चिकित्सा शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी और प्रदेश के रोगियों को अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का परामर्श सरलता से प्राप्त हो सकेगा।

मेरी सरकार प्रदेश के नागरियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सतत प्रयासरत है। वर्ष 2005 तक प्रदेश के सभी 17 मण्डलों के 18 जनपदों में डाग्यनोस्टिक सेंटरों की स्थापना की जायेगी, जिससे रोगियों को सस्ती व उचित चिकित्सा सुविधाएं एक ही स्थान पर सुलभ हो सकें। मेरी सरकार ने पोलियो उन्मूलन के कार्यक्रम को विशेष महत्व देते हुए प्रदेश में दो के स्थान पर इस वर्ष चार अभियान चलाये हैं तथा यह संतोष का विषय है कि इस बार बच्चों को दवाई पिलाने का आच्छादन गत वर्ष की तुलना में काफी अधिक रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में मेरी सरकार ने समाज के प्रतिष्ठित लोगों, धर्म गुरुओं तथा समाज सेवियों का सक्रिय सहयोग लिया है ताकि यह अभियान जनान्दोलन का रूप ले सके। इसी प्रकार कुष्ठ रोग के निवारण के लिए भी सरकार विशेष कदम उठा रही है।

प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या हम सबके लिए चिंता का विषय है और अगर हम सब तत्काल इसके निराकरण के लिए कदम नहीं उठाते हैं तो हमारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। मेरी सरकार लोगों में परिवार को छोटा रखने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ परिवार नियोजन के साधनों की बेहतर एवं सरल उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। इसके अलावा बेटियों की सही उम्र पर शादी करने के विषय का व्यापक प्रचार भी किया जा रहा है।

प्रदेश के दूरगामी विकास के लिए उद्योग अनिवार्य हैं क्योंकि इनसे न सिर्फ बेहतर सेवाएं व उत्पाद प्राप्त होते हैं बल्कि लोगों को रोजगार के नये साधन भी उपलब्ध होते हैं। प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए मेरी सरकार ने एक व्यापक और ठोस रणनीति अपनाई है, जिसके तहत प्रदेश के विभिन्न भागों में चार विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं। इनके लिए भूमि का अधिग्रहण प्रारम्भ कर दिया गया है तथा मेरी सरकार ने भारत में पहली बार इन परिक्षेत्रों के विकास के लिए न केवल एक स्पष्ट नीति परिभाषित की है बल्कि उसे अमलीजामा पहनाने के लिए कानून का रूप भी दिया है। मेरी सरकार की योजना इन परिक्षेत्रों को निजी क्षेत्र में विकसित करने की है, जो एक नया प्रयोग है।

इसके अलावा मेरी सरकार ने औद्योगिक विकास के कार्य में निजी सेक्टर को सम्बद्ध करने के लिए अभिनव मॉडल्स अपनाये हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच ढाई हजार करोड़ रुपये की लागत से एक विश्वस्तरीय भारत का पहला प्रवेश-नियंत्रित ताज एक्सप्रेस-वे पूर्णतः निजी सेक्टर में स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नोएडा-ग्रेटर नोएडा के मध्य निजी सेक्टर से ही वेब सिटी, मेडी सिटी, बायोटेक सिटी तथा शॉपिंग मॉल के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं।

कानपुर की रुग्ण ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन की इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए मेरी सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, जिससे कानपुर की अर्थव्यवस्था को नया जीवन मिलने की संभावना है। प्रदेश के हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए वाराणसी-भदोही क्षेत्र और मुरादाबाद में विशेष आर्थिक परिक्षेत्र स्थापित किये जायेंगे। प्रदेश के कृषि उत्पादों का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रदेश में दो एग्रो पार्क विकसित किये जा चुके हैं तथा दो अन्य पार्क सहारनपुर तथा चोला, जिला बुलन्दशहर में स्थापित किये जाने की योजना है। यह एग्रो पार्क समस्त आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं से युक्त होंगे, जिससे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सारी सुविधाएं इन पार्कों के अन्दर ही प्राप्त हो जायेंगी।

हथकरघा हमारे प्रदेश में कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाली आर्थिक गतिविधि है। प्रदेश के हथकरघा उद्योग और बुनकरों के हित को देखते हुये इस वर्ष 25 हजार नये बुनकरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया गया है, जिसकी स्थिति विगत कई वर्षों के कुप्रबन्धन के कारण अत्यन्त दयनीय हो गयी थी।

उत्तर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और विविधतापूर्ण पर्यटक स्थलों को देखते हुए प्रदेश में पर्यटन में असीम संभावनाएं हैं। मेरी सरकार द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये उच्च स्तरीय अवस्थापना विकसित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत कुशीनगर में हवाई अड्डा और पर्यटन आधारित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र स्थापित किया जायेगा। बौद्ध परिपथ के अन्तर्राष्ट्रीय आकर्षण को देखते हुए इस सम्पूर्ण क्षेत्र को विशेष तौर पर विकसित किया जाना प्रस्तावित है और इसके लिए 1020 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। ताजमहल को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक गन्तव्य बनाने के उद्देश्य से आगरा और दिल्ली के बीच में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की हमारी महत्वाकांक्षी योजना का अनुमोदन भारत सरकार में अंतिम चरणों पर है।

पर्यटन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम द्वारा आठ दिवसीय विशेष पर्यटन पास योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत यात्री 425 रुपये जमाकर प्रदेश के किसी भी स्थान के लिए यात्रा कर सकते हैं। पर्यटकों की ही सुविधा के मद्देनजर प्रदेश के कतिपय प्रमुख नगरों के बीच एयर कंडीशन बस सेवा प्रारम्भ करने का फैसला भी मेरी सरकार द्वारा लिया गया है।

गढ़मुक्तेश्वर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उसे प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केन्द्र एवं तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जाये। प्रदेश के पर्यटन स्थलों को देश-विदेश की जनता के समक्ष रखने और प्रदेश में रोजगार के नये साधन उपलब्ध कराने के दृष्टि से मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसके तहत छह फिल्मों को लगभग 80 लाख रुपये का अनुदान दिया जा चुका है।

जब हम उद्योगों के विकास की बात करते हैं तो श्रमिकों के कल्याण का विषय उठना स्वाभाविक है। मेरी सरकार ने प्रदेश के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक विशेष बीमा योजना प्रारम्भ की है। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना के मामलों में श्रमिकों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना है। बाल श्रमिक प्रथा के उन्मूलन हेतु जिलों में गठित जनपदीय समितियों को सक्रिय किया गया है ताकि इस अभिशाप से मुक्ति मिल सके।

माननीय सदस्यगण आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में विगत वर्षों में जनसंख्या की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत अब शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। इस विशाल जनसंख्या को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल और उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था जैसी नागरिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मेरी सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है।

इस वित्तीय वर्ष के शुरू में प्रदेश में चार नगर पाइप पेयजल से वंचित थे। अब जनपद महोबा के खरेला नगर को छोड़कर सभी नगरों में पाइप पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गयी है। भारत सरकार की सहायता से प्रदेश में त्वरित नागर जल सम्पूर्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के

121 नगरों में मानकों के अनुसार जलापूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है और अगले वित्तीय वर्ष में 60 और नगरों में मानकों के अनुसार जलापूर्ति सुनिश्चित की जायेगी ।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए मेरी सरकार ने वर्ष 2002 तक 356 गांवों को स्वजल योजना के अन्तर्गत जनसहभागिता के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायी है । मुझे कहते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि इस योजना की सफलता से प्रभावित होकर भारत सरकार ने देश के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वजल धारा नाम से एक नई परियोजना का शुभारम्भ 25 दिसम्बर, 2002 को किया है ।

राज्य के नगरों में जनसंख्या की अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी के कारण मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है । आज प्रदेश के नगरों में सात हजार मलिन बस्तियां हैं । इन मलिन बस्तियों के निवासियों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय, आश्रय एवं शिक्षा सुविधाएं, पौष्टिक आहार और स्वरोजगार आदि उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन के कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । चालू वित्तीय वर्ष में 45 हजार लाभार्थियों को स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अधीन लाभान्वित किया जा चुका है और आठ करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर डेढ़ लाख से अधिक मानव दिवस सृजित किये जा चुके हैं । मेरी सरकार द्वारा 02 सितम्बर, 2002 से एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में पेयजल, मार्ग प्रकाश, सामुदायिक केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय इत्यादि अवस्थापनाओं के निर्माण के उद्देश्य से पं० दीनदयाल उपाध्याय नगरोदय योजना प्रारम्भ की गयी है ।

नगरों के संतुलित एवं सुनियोजित विकास हेतु मेरी सरकार 10 नगरों की महायोजनाओं का पुनरीक्षण कर रही है, जो मार्च, 2003 के अन्त तक पूरा हो जायेगा । नगरीय क्षेत्रों में बहुमंजिले अपार्टमेन्ट्स के रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार ने हाल ही में अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) कानून को मंजूरी दी है ।

कृषि, उद्योग तथा पर्यटन के माध्यम से प्रदेश की जनता को रोजगार देने के साथ ही ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण परिवेश के अन्य छोटे-मोटे रोजगार के साधन गांव में ही उपलब्ध हों । इस दिशा में जहां मेरी सरकार ने ग्राम विकास की रोजगारपरक योजनाओं, जैसे सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना को और अधिक प्रभावी तौर पर लागू किया है, वहीं कृषि से संबंधित अन्य विकास परक, कार्यक्रमों, जैसे पशुपालन, डेरी, मत्स्य पालन एवं ग्रामोद्योग को प्राथमिकता दी है ताकि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले प्रदेश के नागरिकों को रोजगार के सार्थक अवसर मिल सकें ।

प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित, पिछड़ी जातियों के युवक-युवतियों को व्यवसाय या उद्योग स्थापित करने के लिए आसान ब्याज दर पर मेरी सरकार ऋण दे रही है । साथ ही पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक ऋण योजना, महिलाओं के लिए स्वर्णिमा योजना और माइक्रो क्रेडिट फाइनेंसिंग की योजना शुरू की गयी है ।

प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान सुचारु रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि इन वर्गों के बच्चे अपनी शिक्षा बिना किसी व्यवधान के पूरी कर सकें ।

समाज के जरूरतमंद व कमजोर श्रेणी के लोगों के लिए लागू अन्त्योदय तथा अन्नपूर्णा योजनाओं को विशेष- गति प्रदान की गयी है । अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत 3.49 लाख लाभार्थियों को 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रत्येक माह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है । अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 16.37 लाख निर्धनतम परिवारों को 23 किलोग्राम गेहूं तथा 12 किलोग्राम चावल प्रतिमाह रियायती दर पर दिया जा रहा है ।

प्रदेश के युवा वर्ग में खेलकूद की भावना को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से और प्रदेश के ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों के सम्मान की दृष्टि से मेरी सरकार द्वारा राष्ट्रकुल खेलों में रजत एवं कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः दो लाख रुपये एवं एक लाख रुपये की धनराशि स्वीकृति की गयी है । पुलिस और पी०ए०सी० में कार्यरत कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से वर्तमान नियमों को संशोधित करते हुए खिलाड़ियों की आउट आफ टर्न पदोन्नति की व्यवस्था भी मेरी सरकार द्वारा की गई है ।

उत्तरांचल के गठन के पश्चात् उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र केवल 4.4 प्रतिशत रह गया है । मेरी सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही है और वन क्षेत्रों के अन्दर आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य वृहद् स्तर पर चलाया जा रहा है । इसी प्रकार जनसहभागिता के माध्यम से वन क्षेत्रों के बाहर सामुदायिक भूमि तथा मार्ग, नहर व रेलवे लाइन के किनारे की भूमि पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मेरी सरकार द्वारा वानिकी कार्यक्रमों के समग्र विकास हेतु वन विकास अभिकरणों का गठन किया गया है और संयुक्त वन प्रबन्धन के नियमों को और अधिक सरल, आकर्षक और पारदर्शी बनाया गया है ताकि जनता की सहायता से वनों का संरक्षण और विकास हो सके । प्रदेश के प्राकृतिक वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मेरी सरकार ने प्रतापगढ़ में एक वृहद् पक्षी विहार की स्थापना करने का निर्णय लिया है ।

जैव विविधता से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक पशुधन है । पशुपालन व्यवसाय ग्रामीण जनता के स्वरोजगार का अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है । अतः इससे संबंधित कार्यक्रमों पर मेरी सरकार द्वारा विशेष बल दिया जा रहा है । पशुओं की प्रजातियों के संरक्षण आदि को देखते हुए प्रादेशिक विकास परिषद्, पशुधन परिक्षेत्र के व्यावसायिक विकास प्रबन्धन हेतु फार्म प्रबन्धन परिषद् एवं चारा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गयी है ।

गोवंश का संरक्षण मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकता है और उसके द्वारा आजादी के बाद पहली बार गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू कर दिया गया है । गोवंश की तस्करी तथा अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के सफल प्रयास किये गये हैं । निष्प्रयोज्य हो चुके गोवंश को प्रयोज्य बनाने के लिए पंचगव्य पर आधारित औषधियों को व्यापार-कर से मुक्त कर दिया गया है ।

मेरी सरकार की संवेदनशीलता, सक्रियता और बेहतर डिलिवरी की व्यवस्था से उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं । स्थानीय स्तर पर ही जनसमस्याओं के निराकरण की व्यवस्था अत्यन्त सफलता से कार्य कर रही है और इसके परिणामस्वरूप जनसामान्य को व्यापक राहत का एहसास हुआ है । पहली बार मेरी सरकार ने हर प्रकार की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित की है और उसका कठोरता से अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा रहा है । यह सुखद अनुभव है कि अब छोटी-छोटी दिक्कतों को लेकर गरीब लोगों को जनपद मुख्यालय, मण्डलीय मुख्यालय, लखनऊ या कोर्ट

कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं । प्रशासनिक कार्यों के निस्तारण में चुस्ती आयी है तथा हर स्तर के अधिकारी पूरी दक्षता से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं । यह नई कार्य संस्कृति प्रदेश की जनता में शासन के प्रति विश्वास एवं आस्था विकसित कर रही है ।

मेरी सरकार प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है । लोक सेवकों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने तथा उनके विरुद्ध कदाचार, अनाचार तथा भ्रष्टाचार की शिकायतों में कठोर कार्यवाही करने की दिशा में चालू वित्तीय वर्ष में 26 ट्रेप डालकर 26 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया, 61 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति जारी की गयी तथा 105 लोक सेवकों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालयों में दाखिल किये गये ।

इस वर्ष हमारे प्रदेश को प्रकृति की अभूतपूर्व मार सहनी पड़ी है । पहले सूखा और उसके बाद अप्रत्याशित शीतलहरी का प्रदेश की जनता पर गहरा असर पड़ा है । सौभाग्य से मेरी सरकार की सक्रियता से इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना सफलतापूर्वक किया जा सका । सूखे का असर पड़ने के पूर्व ही मेरी सरकार ने पूरे प्रदेश को सूखा-ग्रस्त घोषित कर राहत की अनेक योजनाएं प्रभावी तौर पर लागू की, जिससे लोगों के हितों की रक्षा हो सकी, रोजगार मिल सका, खाद्यान्न की समस्या नियंत्रण में रही और पेयजल का कोई विशेष संकट उत्पन्न नहीं हुआ ।

इस वर्ष शीतलहरी का भंयकर प्रकोप रहा है । सरकार ने इस प्रकोप से आम जनता को राहत पहुंचाने हेतु अलाव जलवाने और कम्बलों के निःशुल्क वितरण का व्यापक प्रबन्ध करवाया परन्तु फिर भी कुछ लोग कुदरत का शिकार हुए । इस समस्या का निराकरण केवल कुछ सीमा तक ही इन उपायों से किया जा सकता है । हमें इसके मूल कारण तक जाना होगा और यह समझना होगा कि इस प्रकार की आपदाओं की जड़ गरीबी व असमानता है और जब तक एक समतामूलक समाज की स्थापना नहीं होगी और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण नहीं होगा तब तक इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटती रहेंगी । इस असमानता और विषमता को जड़ से समाप्त करना ही मेरी सरकार का मूलभूत लक्ष्य है ।

माननीय सदस्यगण मैंने अभी आपके समक्ष अपनी सरकार की प्रमुख नीतियों, प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है । इसी सत्र में आपके समक्ष बजट प्रस्तुतीकरण के अवसर पर वर्तमान कार्यक्रमों की उपलब्धियों एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी का एक और अवसर उपलब्ध होगा । विगत सत्र के बाद मैंने कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किये हैं, जिनके प्रतिस्थानी विधेयक और कुछ अन्य विधेयक भी इस सत्र में आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये जा सकते हैं । इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2003-2004 का आय-व्ययक और उसके एक भाग के लिए लेखानुदान और चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक मांगें भी आपके समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी, जिनको और तत्संबंधी विनियोग विधेयक पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी ।

अपना अभिभाषण समाप्त करने से पहले मैं आपको इस अवसर पर यह याद दिलाना चाहूंगा कि देश और प्रदेश में लोकतंत्र का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि सदन के भीतर और बाहर इस गरिमामयी सदन के माननीय सदस्यगण का आचरण और व्यवहार कैसा है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कार्य और आचरण से सदैव इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को बनाये रखेंगे । मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आहूत करता हूं ।

जय हिन्द !]

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान जारी)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री मो० अजम खां)–

अधिष्ठाता महोदय, मेरे खड़े होने के बाद और आपके निर्देशित किये जाने के बावजूद संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ बोलते रहे जो न सुना गया। माहौल इतना अव्यवस्थित था कि आपने बार-बार कहा और संसदीय कार्य मंत्री ने नहीं सुना पूरा सदन इसका गवाह है। मेरे खड़े होने के बाद आपने बार-बार संसदीय कार्य मंत्री को बैठने और जो वह पढ़ रहे थे उससे रुकने के लिये कहा। कई बार आपने निर्देशित किया और कई बार आपकी पीठ से आदेश हुआ लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने आपका कहा हुआ नहीं सुना। जब आपका कहा हुआ वह नहीं सुन सके तो जाहिर है कि उन्होंने कहा उसको सदन का कोई सदस्य नहीं सुन सका। जब नहीं सुन सका तो यह सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है। यह ठीक उसी तरह सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं हुआ जिस तरह से 11.00 बजे जब राज्यपाल महोदय सदन में दाखिल हुए कहा तो उन्होंने यह था इफ्तिदयाये इश्क में रोता है क्या। आगे आगे देखिये होता है क्या जिस प्रदेश के राज्यपाल खुद यह कह चुके हों कि इब्तिदयाये इश्क में रोना है क्या आगे-आगे देखिये होता है क्या। सवाल यह है कि जहां आप बैठे हैं वहां क्या-क्या हुआ है। वह आपकी उपस्थिति साबित कर रही है कि आगे-आगे यह हुआ है।

श्री ओम प्रकाश (ओ०पी०) सिंह–

यह पीठ पर आक्षेप है ।

श्री मो० आजम खां–

अध्यक्ष, केशरी नाथ त्रिपाठी जी जब इस आसन पर बैठे थे तो बड़ी ही प्यार से हाथ में हाथ लेकर इस पीठ तक पहुंचाने का काम किया । आप गवाह हैं आपके बार-बार इंगित किये जाने के बावजूद संसदीय कार्य मंत्री जी पढ़ रहे थे उसको कोई सदस्य नहीं सुन सका क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री आपकी बात को नहीं सुन सके । राज्यपाल महोदय ने पूर्व में ही कहा कि मैं एक शब्द पहला पढ़ूंगा और एक शब्द आखिरी पढ़ूंगा और जै राम जी कह कर चला जाऊंगा । आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की ही नहीं किसी भी प्रदेश की विधान सभा की कार्यवाही निकलवाकर देखेंगे आज तक देश के किसी [xxx]

आवास, नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, [xxx] कार्यवाही से निकलवा दिया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

यह आपत्तिजनक शब्द है । यह इस कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसलिये आपसे यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल ने यहां कुछ कहा ही नहीं । मान्यवर, पहली बार किसी राज्यपाल ने सदन में आने से पहले यह कहा है कि मैं एक शब्द शुरू का और एक शब्द आखिरी का पढ़ूगा लेकिन मान्यवर, वह शब्द भी सदन में नहीं पढ़े गये । जो शब्द सदन में नहीं पढ़े गये, जो अभिभाषण नहीं पढ़ा गया उस अभिभाषण को पढ़ा हुआ नहीं माना जायेगा ।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शान्ति बनाये रखें । मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया था ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं सुन नहीं पा रहा हूं । इतना शोर हो रहा है कि आपका कहा हुआ नहीं सुना जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस कुर्सी से यह कहा जा रहा है कि कृपया आप लोग शान्त बैठें और शान्ति बनाये रखें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं सुन नहीं सका हूं । यह सदन नहीं सुन सका है । सदन में इतना शोर हो रहा है कि आपका कहा हुआ नहीं सुना जा सका ।

(सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा कहा सुना गया है। मैंने कहा है कि शान्ति बनाये रखेंगे तो सबको सुना जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह अशान्ति बनाने का काम सत्ता पक्ष से हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बुला लिया था। बीच में आप खड़े हो गये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं जानना चाहता हूं कि जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने पढ़ा है क्या उसको कार्यवाही का हिस्सा बनायेंगे।

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

मान्यवर, सदन अव्यवस्थित है।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी के प्रति अविश्वास व्यक्त कर चुके हैं। आपके प्रति कुछ सम्मान है।

(सदस्यगण द्वारा सदन में नारे लगाये जाने के कारण घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अधिष्ठाता द्वारा संसदीय कार्य मंत्री को पुकारा गया)

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अध्यादेश, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अध्यादेश, 2003

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 अगस्त, 2002 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 अगस्त, 2002 की बैठक में पारित

किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 सितम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2002 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 अगस्त, 2002 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 अगस्त, 2002 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 सितम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2002 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया ।

(विपक्ष के सदस्यगण नारे लगा रहे थे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2002

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 अगस्त, 2002 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 अगस्त, 2002 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 सितम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2002 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अगस्त, 2002 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 अगस्त, 2002 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 सितम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2002 का उत्तर प्रदेश का नौवां अधिनियम बन गया ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 अगस्त, 2002 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 अगस्त, 2002 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 सितम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2002 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 02 सितम्बर, 2002 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 03 सितम्बर, 2002 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 09 सितम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2002 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2002

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2002 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 26 अगस्त, 2002 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभाने अपनी दिनांक 28 अगस्त, 2002 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 09 सितम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2002 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 अगस्त, 2002 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 अगस्त, 2002 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 09 सितम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2002 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 04 सितम्बर, 2002 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 सितम्बर, 2002 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2002 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 07 सितम्बर, 2002 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना

किसी सिफारिश के दिनांक 09 सितम्बर, 2002 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2002 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया ।

(व्यवधान)

(विपक्ष के सदस्य नारे लगा रहे थे)

(व्यवधान)

कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 07 सितम्बर, 2002 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 09 सितम्बर, 2002 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2002 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन)विधेयक, 2002

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 07 सितम्बर, 2002 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 09 सितम्बर, 2002 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2002 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया ।

(व्यवधान)

भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 अगस्त, 2002 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 अगस्त, 2002 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 17 सितम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2002 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया ।

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये जा रहे थे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 11 में कुछ नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 12 में भी कुछ नहीं है।

(घोर व्यवधान)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की नियम–225 के अन्तर्गत मैं दिनांक 28 फरवरी, 2003 से दिनांक 7 मार्च, 2003 तक के कार्यक्रम के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना सदन को देता हूं।

(घोर व्यवधान)

(विपक्ष के सदस्यगण नारे लगा रहे थे)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 27 फरवरी, 2003 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 28 फरवरी, 2003 से दिनांक 7 मार्च, 2003 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

फरवरी, 2003

28 शुक्रवार — 1–11.00 बजे पूर्वाह्न

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण।

2–12.30 बजे अपराह्न

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना।

(2) औपचारिक कार्य, यथा, अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो।

मार्च, 2003

1 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
2 रविवार	
3 सोमवार	निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना (प्रश्नकाल नहीं होगा)

4 मंगलवार

1–प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद श्री मो० आजम खां, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव तथा श्री जगदम्बिका पाल, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा मा० अध्यक्ष, विधान सभा को उनके पद से हटाये जाने के संबंध में अभिसूचित संकल्प को सदन की अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत किया जाना एवं यथास्थिति उस पर चर्चा एवं मतदान ।

2–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

3–5.00 बजे अपराह्न

---

(1) वित्तीय वर्ष 2002-2003 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतिकरण ।

(2) विधायी कार्य ।

5 बुधवार

1–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

2–5 .00 बजे अपराह्न

---

(1) वित्तीय वर्ष 2002-2003 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

(2) विधायी कार्य ।

6 गुरुवार

1–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

2–4.00 बजे अपराह्न

---

(1) वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अन्तरिम आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण ।

(2) वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतिकरण ।

(3) वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिए लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

7 शुक्रवार

1–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा एवं मतदान ।

2–असरकारी कार्य ।

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान के मध्य)

(सदन में विपक्ष के अनेक सदस्य अपनी सीट के पास खड़े होकर नारे लगा रहे थे जिससे सदन में घोर व्यवधान जारी रहा)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–14 में कुछ नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003†

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष अर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने की अुनज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2003††

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अुनज्ञा दी जाये ?

नोट :–† दिनांक 27-3-03 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

नोट :–†† दिनांक 27-3-03 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2003†

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2003††

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

(व्यवधान जारी)

नोट :–† दिनांक 27-3-03 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

†† दिनांक 27-3-03 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

(श्री राम करन आर्य, श्री शारदानन्द अंचल, श्री अरविन्द गिरि तथा श्री उदय राज के साथ समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर में आकर नारे लगाने लगे तथा आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे ।)

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2003 †††

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003†

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं ।

नोट :–††† दिनांक 27-3-03 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

† दिनांक 27-3-03 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं तथा दिनांक 3 मार्च, 2003 को 11.00 बजे (पूर्वाह्न) फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 55 मिनट पर सोमवार दिनांक 3 मार्च; 2003 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 28 फरवरी, 2003

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 56 विधान सभा (85)–28-6-03–813 (डी०टी०पी०) ।